UNNAO POLICE

प्रेस नोट - दिनांक 28.01.2025

थाना सफीपुर जनपद उन्नाव।

पुलिस मुठभेड़ मे तीन शातिर गो तस्कर गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा गो तस्करी करने वाले तीन अभियुक्तों को एक अदद तंमचा, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद ट्रक नं0 UP50T1398 में 22 राशि गोवंश को बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 28.01.2025 को रात्रि में थाना सफीपुर क्षेत्रांतर्गत डायल 112 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम देवरामऊ जंगल में एक ट्रक UP50 T 1398 में गोवंश पशुओं को लाद कर ले जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना सफीपुर पुलिस एवं पीआरवी 6597 ने उक्त ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो पीआरवी वाहन को क्षतिग्रस्त करते हुए गो तस्करों ने भागने का प्रयास किया एवं कुछ दूरी पर ट्रक को खड़ा कर मौके से भाग गये। थाना सफीपुर पुलिस द्वारा उक्त गो तस्करों को पकड़ने के प्रयास में चेकिंग के दौरान समय करीब 08.30 बजे थाना स्थानीय क्षेत्रांतर्गत भट्टाचार्य मोड़ मजरा सराय अख्तियारपुर के पास भाग रहे व्यक्तियों में से 1. जाबिर पुत्र कासिम निवासी तेतारपुर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी को पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तभी जाबिर उपरोक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गयी मुठभेड़ में जाबिर उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके पैर पर गोली लगी है। थाना सफीपुर पुलिस द्वारा ट्रक मे लदे 22 गोवंश समेत ट्रक, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर एवं एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया व अभियुक्तगण 2.रामखेलावन पुत्र गौरी उम्र 47 वर्ष 3.भगवानदीन पुत्र रघुवर उम्र करीब 58 वर्ष नि0गण ग्राम देवरामऊ थाना सफीपुर जनपद उन्नाव को जुझारपुर देवरामऊ मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संदर्भ में थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 28/2025 धारा 121(1)/132/109/352/324(5)/351(3) बीएनएस तथा मु0अ0सं0 29/2025 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. जाबिर पुत्र कासिम उम्र करीब 40 वर्ष नि0ग्राम ततारपुर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी
2. रामखेलावन पुत्र गौरी उम्र 47 वर्ष नि0 ग्राम देवरामऊ थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
3. भगवानदीन पुत्र रघुवर उम्र करीब 58 वर्ष नि0 ग्राम देवरामऊ थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण-

एक अदद तंमचा, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद ट्रक नं0 UP50T1398 व 22 राशि गोवंश

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

प्र0नि0 श्यामनरायण सिंह
निरीक्षक श्री रामबचन भारती
उ0नि0 सीताराम
उ0नि0 अरविन्द रघुवंशी
उ0नि0 कल्लूराम यादव
का0 प्रशान्त यादव
का0 अरविन्द कुमार
का0 निपुणमान
का0 राहुल दिवाकर
का0 जितेन्द्र नादर
का0 दीपक चौधरी